BRJE010063802025

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (अनु.जा./अनु.जन.जा.), जहानाबाद।
उपस्थितः– अरुण कुमार शर्मा
विशेष अनु.जा./अनु.जन.जा. वाद संख्या – 136/2025
(सम्बंधित जहानाबाद एस0सी0/एस0टी0 थाना कांड संख्या 20 सन् 2024)

सूचिका	राज्य द्वारा :– श्रीमति देवी, पति साधु पासवान, साकिन कसियावॉ, थाना हुलासगंज, जिला जहानाबाद।
द्वारा प्रस्तुत	अभियोजन की तरफ सेः– श्री राकेश कुमार, प्रभारी विशेष लोक अभियोजक।
अभियुक्तगण	1. उज्जवल कुमार, उम्र 27 वर्ष, पिता राम सियासन सिंह, 2. सत्यम कुमार, उम्र 22 वर्ष, पिता बिनोद सिंह, 3. चन्दन कुमार, उम्र 23 वर्ष, पिता अवधेश सिंह, 4. रवि रंजन कुमार, उम्र 30 वर्ष, पिता अवधेश सिंह, 5. सोनु कुमार, उम्र 26 वर्ष, पिता रामप्रति सिंह, सभी साकिन कसियावॉ, थाना हुलासगंज, जिला जहानाबाद।
द्वारा प्रस्तुत	अभियुक्तगण की तरफ सेः– मो0 इम्तीयाज अहमद, विद्वान अधिवक्ता।
घटना की तिथि	26.04.2024
प्राथमिकी की तिथि	29.04.2024
आरोप पत्र की तिथि	12.08.2025
आरोप विरचना की तिथि	08.05.2026
साक्ष्य के प्रारंभ होने की तिथि	12.05.2026
निर्णय तय करने की तिथि	06.06.2026
निर्णय की तिथि	08.06.2026
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	-

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्तगण का रैंक	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छुटने की तिथि	आरोपित अपराध	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	आरोपित सजा	धारा 428 द0प्र0सं0 के प्रयोजनों के लिए विचारण के दौरान निरोध की अवधि
ए–1	उज्जवल कुमार	–	–	धारा 147, 341/149, 323/149, 354/149, 427/149, 504/149, 506/149, 452/149 भा.द.वि. एवं 3(i)(r)(s)(w),3(2)(va) अनु.जा./अनु.जन.जा. अधिनियम	दोषमुक्त	–	–
ए–2	सत्यम कुमार	–	–			–	–
ए–3	चन्दन कुमार	–	–			–	–
ए–4	रवि रंजन कुमार	–	–			–	–
ए–5	सोनु कुमार	–	–			–	–

<u>साक्ष्य का परिशिष्ट</u>

<u>अनुक्रमणिका</u>

अभियोजन/बचाव/न्यायालय के गवाहों की सूची–

A. अभियोजन :–

रैंक	नाम	गवाह की प्रकृति (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सा गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी. डब्लू. 1	श्रीमती देवी	सूचिका
पी. डब्लू. 2	साधु पासवान	अन्य गवाह
पी. डब्लू. 3	गिरिजा मांझी	अन्य गवाह

B. बचाव पक्ष साक्षी, यदि हो तो :– कोई नहीं।

C. न्यायालय साक्षी, यदि हो तो :– कोई नहीं।

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्शो की सूची

A. अभियोजन प्रदर्श :–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श पी.1/पी. डब्लू.1	अभियोजन साक्षी संख्या 01. श्रीमती देवी द्वारा प्राथमिकी आवेदन पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की गई।

B. बचाव पक्ष प्रदर्श :– कोई नहीं।

C. न्यायालय प्रदर्श :– कोई नहीं।

D. वस्तु प्रदर्श :– कोई नहीं।

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद में अभियुक्तगण उज्जवल कुमार, सत्यम कुमार, चन्दन कुमार, रवि रंजन कुमार व सोनु कुमार के विरूद्व अन्तर्गत धारा 147, 341/149, 323/149, 354/149, 427/149, 504/149, 506/149, 452/149 भा.द. वि. एवं 3(i)(r)(s)(w),3(2)(va) अनु0जा0/अनु0जन0जा0 अधिनियम के लिये विचारण किया गया है।

2. प्राथमिकी के अनुसार, संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 26.04.2024 को समय करीब 11:00 बजे रात्रि में सूचिका तथा उसके परिवार के लोग खाना खाकर सो रहे थे तो जब वह सभी घर के परिवार खाना तभी लड़का ज्जवल कुमार, चन्दन कुमार, रविरंजन कुमार, सत्यम कुमार, सोनु कुमार और कई लोग लाठी हथियार के साथ दरवाजा तोड़ फोड़ कर गाड़ी को क्षति करते हुए घर के अन्दर आकर और बेटी बहु के साथ मारपीट और कपड़ा फाड़ कर ईज्जत उतारने का प्रयास किया गया, इस घटना के समय सूचिका और उसका पति व बेटा, घर पे कोई नहीं उपस्थित नहीं थे, जब वे घर आए तो पुछने पर बताया कि वे लोग गाली गलौज दुसाध फुसाध हरिजन करते हुए दिया और ध मकी दिया कि 90 के दशक भूल गया वैसे हीं दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे।

3. सूचिका द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर जहानाबाद एस0सी0/एस0टी0 थाना कांड संख्या 20/2024, दिनांक 29.04.2024 अंतर्गत धारा 147, 149, 341, 323, 354क, 504, 506 भा.द.वि., 3(i)(r)(s)(w),3(2)(va) अनु.जा./अनु.जन.जा. अधिनियम के अधीन अभियुक्तगण उज्जवल कुमार, सत्यम कुमार, चन्दन कुमार, रविरंजन कुमार व सोनु कुमार के विरूद्व प्राथमिकी दर्ज की गई। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान पश्चात् प्राथमिकी अभियुक्त गण चन्दन कुमार व सत्यम कुमार को अनुत्प्रेषित दिखाते हुए शेष प्राथमिकी अभियुक्तगण उज्जवल कुमार, रविरंजन कुमार व सोनु कुमार के विरूद्व घटना सत्य पाकर अंतिम आरोप पत्र संख्या 41/2025, दिनांक 12.08.2025 अन्तर्गत धारा 147, 149, 323, 354, 452, 427, 504, 506 भा.द.वि., 3(i)(r)(s)(w), 3(2)(va) अनु0 जा0/अनु0जन0 जा0 अधिनियम में न्यायालय में समर्पित किया गया।

4. इस मामले में न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण उज्जवल कुमार, रवि रंजन कुमार, सोनु कुमार, चन्दन कुमार व सत्यम कुमार के विरूद्व अंतर्गत 147, 149,

341, 323, 354, 452, 427, 504, 506 भा.द.वि. एवं 3(i)(r)(s)(w), 3(2)(va) अनु0 जा0/अनु0जन0जा0 अधिनियम में अपराध का संज्ञान लिया गया।

5. इस मामले में न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 147, 341/149, 323/149, 354/149, 427/149, 504/149, 506/149, 452/149 भा.द.वि. एवं 3(i)(r)(s)(w),3(2)(va) में आरोप विरचित किया गया। विरचित आरोप अभियुक्तगण को हिन्दी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिस पर अभियुक्तगण द्वारा आरोप से इंकार किया गया व विचारण की मॉग की गयी।

6. इस मामले में अभियोजन साक्षियों के परीक्षण के उपरांत, न्यायालय द्वारा धारा–313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उपरोक्त अभियुक्तगण का बयान अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अपने–आपको निर्दोष बताया। बचाव पक्ष ने अपने समर्थन में कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

7. प्रस्तुत वाद में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है ?

मंतव्य

8. इस वाद में अभियोजन पक्ष ने कुल 03 साक्षियों यथा अभियोजन साक्षी संख्या 01. श्रीमती देवी, अभियेाजन साक्षी संख्या 02. साधु पासवान एवं अभियोजन साक्षी संख्या 03. गिरिजा मांझी को प्रस्तुत करके परीक्षित कराया है।

अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य को प्रदर्श अंकित कराया है:–

प्रदर्श पी.1/पी.डब्लू.1 - अभियोजन साक्षी संख्या 01. श्रीमती देवी द्वारा लिखित आवेदन पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की गई।

9. अभियोजन साक्षी संख्या 01. श्रीमती देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मैं हीं इस केस की सूचिका हूॅ। घटना दो वर्ष पूर्व की है। समय करीब रात का 11:00 बज रहा था। उज्जवल कुमार, राजु रंजन, चन्दन, सत्यम कुमार, सोनु कुमार ये सभी मेरे घर पर आकर लाठी पैना से मारपीट किया था। मेरी पुतोहु शीला देवी व बबीता कुमारी को भी उक्त लोगों ने मारपीट किया था। मुदालय ने मुझे दुसाध चमार कहकर गाली गलौज किया था। मैंने जख्मी का

ईलाज प्राईवेट में करवाए थे। लिखित आवेदन मेरे बेटा संदिप कुमान ने लिखा था, जिसपर मेरा हस्ताक्षर बनाया था, यह वही आवेदन है, जिसे पहचानती हूँ सम्पूर्ण लिखित आवेदन को **प्रदर्श P-1/PW**1 .अंकित किया जाता है। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त सोनु कुमार को पहचानता हूँ। अन्य बकालतन प्रतिनिधित्व के अभियुक्तगण को साक्षी देखने पर पहचानने का दावा करते है।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि रात अंधेरी थी, इसलिए कौन किसको मारा मैं नहीं बता सकती हूँ। मुदालयगण मेरे घर में बारी–बारी से आए थे। मारपीट में चोट साधारण लगी थी। किसी मुदालयगण द्वारा मुझे किसी जाति सूचक शब्द से गाली गलौज नहीं किया है। दोनों पक्षों में आपस में सुलह हो गया है। पलटा मुकदमा व इस मुकदमे में सुलह हो गया है और अब केस लड़ना नही चाहती हूँ। मुदालयगण मेरे ग्रामीण है इसलिए पहचानती हूँ।

10. अभियोजन साक्षी संख्या 02. साधु पासवान ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना का करीब दो वर्ष हो चुके है। समय करीब 11:00 बजे रात का हो रहा था। घटना के समय मैं घर पर नहीं था। बाद में सुने थे कि चन्दन कुमार, उज्जवल कुमार, सत्यम कुमार, सोनु कुमार, रवि रंजन कुमार मिलकर श्रीमती देवी से झगड़ा किया था। झगड़ा क्यों हुआ था मैं नहीं जानता हूँ। इसी घटना के लिए यह केस हुआ है। आज न्यायालय में उपस्थित चन्दन को पहचानता हूँ। अन्य बकालतन प्रतिनिधित्व के अभियुक्तगण को साक्षी देखने पर पहचानने का दावा करते है।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि रात 11:00 बजे की घ ाटना है। उस समय मैं जग देखने के लिए दुसरे गॉव चले गया था। घटना को मैंने अपनी आंखो से नहीं देखा था। मुदालयगण मेरे ग्रामीण है इसलिए पहचानता हूँ। लोक अदालत में चल रहे पलटा मुकदमा में सुलह हो गया है ओर वह केस खत्म हो गया है। इस केस के गवाह मंजु देवी है, जो केन्सर से पीड़ित है, जो वर्तमान में बनारस में इलाजरत है। इस केस में भी सुलह हो गया है और अब केस लड़ना नहीं चाहता हूँ।

11. अभियोजन साक्षी संख्या 03. गिरिजा मांझी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना का करीब दो वर्ष हो चुके है। समय करीब 11:00 बजे रात का हो रहा था। घटना के समय मैं घर पर नहीं था। बाद में सुने थे कि चन्दन कुमार, उज्जवल कुमार, सत्यम कुमार, सोनु कुमार, रवि रंजन कुमार मिलकर श्रीमती देवी से झगड़ा व गाली गलौज हुआ था। झगड़ा क्यों हुआ था मैं नहीं जानता हूँ। इसी घटना के लिए यह केस हुआ है। आज न्यायालय में उपस्थित चन्दन को पहचानता हूँ। अन्य बकालतन प्रतिनिधित्व के अभियुक्तगण को साक्षी देखने पर पहचानने का दावा करते है।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि घटना को मैंने अपनी आंखो से नहीं देखा था। किसके बीच लड़ाई हुआ था मैं नहीं बता सकता हूँ। इस केस में भी सुलह हो गया है और अब केस लड़ना नहीं चाहता हूँ। मुदालयगण मेरे ग्रामीण है इसलिए पहचानता हूँ।

12. इस मामले में राज्य की ओर से विद्वान् प्रभारी विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपनी बहस में कहा गया कि इस मामले में को अभियोजन द्वारा कुल 03 साक्षियों को परीक्षित कराया गया है, उन सभी साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन अपने साक्ष्य में किया है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए साक्षियों के साक्ष्यों से अभियोजन यह स्थापित करने में सफल रहा है कि सूचिका तथा उसके परिवार के साथ अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित की गई थी। अंत में, उनके द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

13. अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का अपनी बहस में कहना है कि अभियोजन इस मामले को साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। उनके द्वारा बहस में आगे कहा गया कि इस मामले में अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए साक्षियों ने अपने साक्ष्यों में घटना के संबंध में विरोधाभाषी साक्ष्य दिया है, जिससे अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो गया है और इसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि घटना 26.04.2024 को होना कहा गया है, जबकि प्राथमिकी तीन दिन के बिलंब से दिनांक 29.04.2026 को दर्ज कराई गई और अभियोजन द्वारा इस बिलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि अभियोजन द्वारा इस मामले के अनुसंधानकर्ता को परीक्षण हेतु उपस्थित नहीं कराया गया तथा उपस्थित न कराए जाने का कोई कारण हीं दर्शित किया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि उभय पक्षों में आपस में सुलह हो गई है। अन्त में उनके द्वारा अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

परिशीलन(Discussion)

14. उभय पक्षों के तर्कों को सुना तथा अभिलेख व उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया गया।

15. आपराधिक विधि का यह सुस्थापित नियम है कि अभियोजन पर यह प्राथमिक दायित्व होता है कि वह अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करें। इस मामले में अभियोजन, अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को साबित करने में कहां तक सफल रहा है इसके लिए अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षियों के साक्ष्यों की समीक्षा किया जाना आवश्यक है।

16. साक्ष्य समीक्षा के क्रम में सर्वप्रथम अभियोजन साक्षी संख्या 01. श्रीमती देवी के मुख्य परीक्षण में दिए गए साक्ष्य की समीक्षा से पाता हूँ कि यह साक्षी इस मामले की सूचिका है तथा इस साक्षी ने थाना पर लिखित आवेदन अपने बेटा संदिप कुमार से लिखवाकर अपने हस्ताक्षर में देने का कथन किया है, जिसे अभियोजन ने प्रदर्श पी–1 के रूप में साबित कराया है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना दो वर्ष पूर्व की है। समय करीब रात का 11:00 बज रहा था। उज्जवल कुमार, राजु रंजन, चन्दन, सत्यम कुमार, सोनु कुमार ये सभी उसके घर पर आकर लाठी पैना से मारपीट किया था। उसकी पुतोहु शीला देवी व बबीता कुमारी को भी उक्त लोगों ने मारपीट किया था। मुदालय ने उसे दुसाध चमार कहकर गाली गलौज किया था। उसने जख्मी का ईलाज प्राईवेट में करवाया था।

इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण के साक्ष्य में दिए गए साक्ष्य की समीक्षा से पाता हूँ कि इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में मुख्य परीक्षण से विरोधाभाषी साक्ष्य दिया है, जिससे इस साक्षी का मुख्य परीक्षण में दिया गया साक्ष्य खंडित हो गया है। इस साक्षी ने कथन किया है कि रात अंधेरी थी, इसलिए कौन, किसको मारा वह नहीं बता सकती है। मुदालयगण उसके घर में बारी–बारी से आए थे। मारपीट में चोट साधारण लगी थी। किसी मुदालयगण द्वारा उसे किसी जाति सूचक शब्द से गाली गलौज नहीं किया है। दोनों पक्षों में आपस में सुलह हो गया है। पलटा मुकदमा व इस मुकदमे में सुलह हो गया है और अब केस लड़ना नही चाहती है।

इस प्रकार, इस साक्षी के साक्ष्य की समग्र समीक्षा से पाता हूँ कि यह साक्षी इस मामले का सूचिका है, परन्तु इस साक्षी ने ऐसा साक्ष्य विरोधाभाषी साक्ष्य दिया है, जिससे अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किए जाने के तथ्य का स्थापित होना दर्शित नहीं हो रहा है। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक का स्थापित होना नहीं पाता हूँ।

17. साक्ष्य समीक्षा के अग्रिम क्रम में अभियोजन साक्षी संख्या 02. साधु पासवान के मुख्य परीक्षण में दिए गए साक्ष्य की समीक्षा से पाता हूँ कि इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना को करीब दो वर्ष हो चुके है। समय करीब 11:00

बजे रात का हो रहा था। घटना के समय वह घर पर नहीं था। बाद में सुने थे कि चन्दन कुमार, उज्जवल कुमार, सत्यम कुमार, सोनु कुमार, रवि रंजन कुमार मिलकर श्रीमती देवी से झगड़ा किया था। झगड़ा क्यों हुआ था वह नहीं जानता है। इसी घटना के लिए यह केस हुआ है। इस साक्षी के साक्ष्य के अनुसार घटना के समय वह घटनास्थल पर नहीं था तथा घटना के बारे में बाद में सुना था, जिससे दर्शित होता है कि यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी घटना को अपनी आंखो से नहीं देखने का कथन किया है। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि लोक अदालत में चल रहे पलटा मुकदमा में सुलह हो गया है ओर वह केस खत्म हो गया है। इस केस के गवाह मंजु देवी है, जो केन्सर से पीड़ित है, जो वर्तमान में बनारस में इलाजरत है। इस केस में भी सुलह हो गया है और अब केस लड़ना नहीं चाहता हूॅ।

इस साक्षी के साक्ष्य की समग्र समीक्षा से दर्शित होता है कि यह साक्षी घ ाटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक का स्थापित होना नहीं पाता हूॅ।

18. साक्ष्य समीक्षा के अग्रिम क्रम में अभियोजन साक्षी संख्या 03. गिरिजा मांझी के मुख्य परीक्षण में दिए गए साक्ष्य की समीक्षा से पाता हूॅ कि इस साक्षी ने भी घटना के समय घर पर नहीं होने तथा बाद में घटना के बारे में सुने जाने का कथन किा है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के साक्ष्य में भी घटना को अपनी आंखो से नहीं देखे जाने तथा किसके बीच लड़ाई हुई थी, नहीं देखे जाने का कथन किया है। यह साक्षी भी अभियोजन साक्षी संख्या 02 की तरह घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है तथा इस साक्षी के साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे अभियोजन कथानक साबित हो सके।

साक्ष्य समीक्षा के क्रम में अभिलेख के अग्रेत्तर परिशीलन से दर्शित होता है कि इस मामले में घटना दिनांक 26.04.2026 को होने का उल्लेख प्राथमिकी आवेदन में किया गया है, परन्तु घटना के संबंध में प्राथमिकी दिनांक 29.04.2026 को दर्ज कराई गई और बिलंब का कोई स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

19. साक्ष्य समीक्षा के अग्रेत्तर क्रम में अभिलेख के परिशीलन से दर्शित होता है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मामले के अनुसंधाकर्ता को परीक्षण हेतु उपस्थित नहीं करवाया है और उपस्थित न किए जाने का कोई कारण हीं दर्शित किया है।

20. इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों, साक्ष्यों एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के सम्यक अवलोकन, परिशीलन व समीक्षा के उपरांत मैं यह पाता हूँ कि इस मामले में अभियोजन, अभियुक्तगण के विरूद्ध अपने मामले को संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। आपराधिक विधि में अभियोजन कि यह महती जिम्मेदारी होती है कि वह अपने मामले को सभी प्रकार के युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करें। यदि अभियोजन अपने मामले को संदेहों से परे साबित करने में असफल रहता है तो अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों, परिस्थितियों के आलोक में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत हो रहा है।

21. अतः अभियुक्तगण उज्जवल कुमार, सत्यम कुमार, चन्दन कुमार, रवि रंजन कुमार व सोनु कुमार के विरूद्व अन्तर्गत धारा 147, 341/149, 323/149, 354/149, 427/149, 504/149, 506/149, 452/149 भा.द.वि. एवं 3(i)(r)(s)(w), 3(2)(va) अनु0जा0/अनु0जन0जा0 अधिनियम से संदेह का लाभ देते हुये उन्हें दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं, इसलिये उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

22. कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय
में हस्ताक्षरित, दिनांकित, उद्घोषित
एवं शुद्धिकृत किया गया।

लेखापित

(अरूण कुमार शर्मा)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
–सह–
विशेष न्यायाधीश; अनु.जा./अनु.जन.जा.
जहानाबाद।
दिनांकः– 08.06.2026

(अरूण कुमार शर्मा)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
–सह–
विशेष न्यायाधीश; अनु.जा./अनु.जन.जा.
जहानाबाद।
दिनांकः–08.06.2026